

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/31416-31606 जयपुर, दिनांक: 04/8/17  
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,  
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,  
राजस्थान।

**विषय:** मुख्य मंत्री जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

विभिन्न निकायों से प्राप्त पत्रों का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रों द्वारा जिन प्रश्नों पर मार्गदर्शन चाहा गया है उनके संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है:—

क्र. सं.	प्रश्न	मार्गदर्शन
1.	नगर परिषद दौसा में दिनांक 17.6.99 से पूर्व की करीबन सभी कॉलोनियों के ले-आउट स्वीकृत करवाकर लगभग सभी भूखण्डवासियों के पट्टे जारी कर दिये गये हैं, दिनांक 17.6.99 से पूर्व की बसी हुई कॉलोनियों के ले-आउट स्वीकृत कॉलोनियों के आवेदकों ने इस अभियान में पट्टे नहीं दिये जा पा रहे हैं क्योंकि दिनांक 17.6.99 के बाद की बसावट के लिये 60:40 रेशों में ही ले-आउट बनाने के आदेश दिये गये हैं जबकि इन कॉलोनियों में 60:40 का रेशों नहीं होने के कारण ले-आउट स्वीकृत कराकर पट्टे देना संभव नहीं है।	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी (i) तथा 90-ए (8) से संबंधित दिनांक 17.6.99 से पूर्व के प्रकरणों में 70:30 के अनुपात के आधार पर ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जा सकते हैं तथा 70:30 के अनुपात से अधिक के ले-आउट प्लान राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत किये जा सकते हैं। किन्तु दिनांक 17.6.99 के पश्चात् सृजित योजनाओं में जो 90-बी व 90-ए की उपधारा (6) व (7) के अन्तर्गत आते हैं उनमें 60:40 प्रतिशत के आधार पर ले-आउट स्वीकृत करने का प्रावधान है।
2.	मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र में 100 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी (लाल डोरा) स्थित है जिसमें अधिकतर भवनों का निर्माण भवन विनियम मानदण्डों के अनुरूप नहीं है तथा रास्तों की चौड़ाई 05 फीट से 12 फीट तक है। उक्त आबादी के लोग स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत अपने भवन का पट्टा जारी करवाना चाहते हैं। उक्त आबादी का उपलब्ध रोड चौड़ाई पर पट्टा दिया जा सकता है? उक्त आबादी में स्थित भवनों का विद्यमान स्थिति में नियमन किया जा सकता है?	पुरानी आबादी में निर्मित भवन 100 वर्ष से अधिक पुराने होने के कारण इन निर्माणों के संबंध में मॉडल भवन विनियम 2010 व 2013 के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होते हैं व नाहीं सड़क की न्यूनतम चौड़ाई के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू होते हैं। स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्ष 1983 व तत्पश्चात् जारी अधिसूचनाओं /आदेशों में नजूल भूमि पर स्थित भवनों के नियमन के संबंध में सड़क की चौड़ाई व वर्तमान में लागू भवन विनियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। किन्तु विभागीय आदेश क्रमांक प.2 (30) नविवि/ 3/16/पार्ट/1516-30 दिनांक 25.4.17 के बिन्दु संख्या 7(iii) में निर्देश प्रदान किये गये हैं कि:—

"7(iii). उक्त नियमन केवल मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग तथा सड़क चौड़ाई के मापदण्डों के अनुरूप ही हो सकेगा। भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किये गये निर्माणों

	<p>का ही नियमन हो सकेगा।”</p> <p>नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2(30) नविवि /3/2016 पार्ट दिनांक 20.05.17 के बिन्दु संख्या 8 में निर्देश जारी किया जा चुका है कि जिन योजनाओं में पूर्व में 30 फीट से कम चौड़ी सड़क के पट्टे जारी किये जा चुके हैं इसमें पूर्व अनुसार सड़क की चौड़ाई रखते हुये पट्टे दिये जा सकते हैं।</p> <p>पुरानी आबादी/घनी आबादी/ परकोटे के भीतर का क्षेत्र/लाल डोरे के अन्दर का क्षेत्र में भवन विनियम 2010 के विनियम 5.5 को दृष्टिगत रखते हुये धारा 183 अन्तर्गत भवन रेखा निर्धारित कर पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि आवाप्ति की प्रक्रिया अनुसार मुआवजा के भुगतान के बगैर सड़क की चौड़ाई बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। इस कारण विभागीय आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016–पार्ट/1516 –30 दिनांक 25.4.17 के बिन्दु संख्या 7 (3) की निरन्तरता में विभागीय आदेश क्रमांक प.59 डीएलबी/ एसटीपी/सी.एम.जे.के.एस.वाई./ (116) /17/1673 दिनांक 17.5.17 के बिन्दु संख्या 1.3 में निम्न उल्लेख किया गया है:-</p> <p>“1.3 स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत दिये जाने वाले पट्टों से संबंधित भूमि/भवन नगर के पुरानी आबादी क्षेत्र/चार दीवारी क्षेत्र/घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, तथा इन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से जीरो सेटबेक पर निर्माण स्थित है तथा भवन विनियमों में भी ऐसे क्षेत्रों हेतु मौजूदा भवन रेखा रखते हुये तथा मौके पर उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुरूप ही स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है। अतः स्टेट ग्रान्ट एकट के पट्टों में सैटबेक एवं सड़क की चौड़ाई का मानदण्ड नहीं है एवं स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत मौके पर स्थित निर्माण एवं सड़क की चौड़ाई के अनुरूप ही पट्टा दिया जावेगा।”</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे।</p>	
3.	<p>नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.2(30)/ नविवि/3/2016–पार्ट/1516–30 दिनांक 25.4.17 के बिन्दु संख्या 7 (iii) के अनुसार नियमन केवल मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग तथा सड़क चौड़ाई के मापदण्डों के अनुरूप ही हो सकेगा। भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किये गये निर्माणों का ही नियमन हो सकेगा। नगर पालिका बगरू में अधिकांश आबादी पुरानी बसी हुई है। जिसमें सड़क चौड़ाई व भवन विनियम की अनुपालना गठित है। इस स्थिति में पट्टे जारी करना लगभग असम्भव सा है। इस संबंध में मार्गदर्शनर देने की कृपा करें।</p>	उपरोक्त बिन्दु 2 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

4.	<p>नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.2(30)म/विवि./3/2016 / पार्ट दिनांक 28.4.17 के आदेश में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त आदेश पूर्व में अनुमोदित कॉलोनियों में भी लागू होगा या नहीं क्यों की पुर्व में अनुमोदित कॉलोनियों में 20 फीट मार्ग निर्धारित कर पट्टे दिये जा चुके हैं। शेष पट्टे 28.4.17 के अनुसार दिये जाने हैं या 25.4.17 के बिन्दु संख्या 1(ii) के अनुसार दिये जाने हैं।</p>	<p>जिन कॉलोनियों में पूर्व में अनुमोदित ले-आउट अनुसार 20 फीट मार्ग निर्धारित कर पट्टे दिये जा चुके हैं, उनमें कालोनियों में शेष पट्टे भी निर्धारित 20 फीट मार्ग के आधार पर दिये जाना उपयुक्त होगा। जिन योजनाओं के ले-आउट स्वीकृत होने के पश्चात् पट्टे जारी नहीं हुए हैं उनमें आदेश दिनांक 28.4.17 के अनुसार कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा।</p>
5.	<p>अपील संख्या 64/2015 श्रीमती भंवरी देवी पत्नी रत्नलाल कुमावत, पिपराली रोड समर्थपुरा सीकर बनाम आयुक्त नगर परिषद सीकर में आप द्वारा दिये गये फैसले की प्रति एफ.7/(64)/अपील/2015/30-32 दिनांक 18.1.17 प्राप्त हुई है। जिसमें आप द्वारा आदेश दिये गये हैं कि अपीलार्थी की सुनवाई करके प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर राजस्थान म्यूनीसीपल रूल्स, 1966 के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नगर परिषद को निर्देशित किया है उपरोक्त के संबंध में निवेदन है कि निदेशालय के ही पूर्व पत्रांक भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/15/ 3530 दिनांक 07.9.15 के द्वारा आदेशित किया गया है कि आरएम एक्ट (रूल्स) 1966 वर्तमान भवन नियमों के परिपेक्ष में अप्रासंगिक हो चुके हैं। अतः मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित/निर्माण/नियमबद्धता/ नियमितिकरण) उपविधियां 2014 प्रभावी होने के पश्चात् आरएम रूल्स 1966 के नियम निष्प्रभावी हो चुके हैं।</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका प्रशमन नियम, 1966 को विलोपित नहीं किया गया है तथा उक्त नियम 1966 आज भी प्रभावी है। अतः पत्र क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/15/ 3530 दिनांक 7.9.15 निष्प्रभावी होने के कारण निदेशक द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 327 के अन्तर्गत अपील संख्याक प.7(64)अपील/2015/30-32 में दिनांक 18.1.17 को पारित निर्णय की अनुपालना मेंविभागीय आदेश क्रमांक प.10(7)नविवि/3 / 2009 पार्ट-III दिनांक 11.05.17 के द्वारा भवन विनियम में किये गये संशोधन तथा मॉडल स्थानीय निकाय नगरीय क्षेत्र(भवन) विनियम, 2010 के विनियम, 5.5. के अन्तर्गत आता हो तो उक्तानुसार कार्यवाही की जावे अन्यथा रिट याचिका संख्या 1554/2004 में पारित निर्णय दिनांक 12.1.17 के विरुद्ध प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश की गई एस.एल.पी. तथा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिव्यू याचिका के निर्णयाधीन सैट-बैक बिल्डिंग लाईन के उल्घनको छोड़कर सशर्त मानचित्र स्वीकृत/प्रशमित किया जा सकता तथा निर्माणकर्ता से भी इस आशय की अण्डरटेकिंग प्राप्त की जावे कि सैटबैक व बिल्डिंग लाईन के उल्घन में किये गये निर्माण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. में पारित निर्णय व माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिव्यू याचिका में पारित निर्णय के अनुसार सैटबैक निर्माण के प्रशमन के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु नगर पालिका स्वतंत्र रहेगी। राजस्थान नगर पालिका प्रशमन नियम, 1966 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।</p>
6.	<p>श्रीमती सुनिता देवी पत्नी श्री धर्मवीर धायल निवासी घोड़ीवारा कला वार्ड नम्बर 16 ने पालिका में 28.4.16 को निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्रावली पेश की गई। जिसका आवेदन शुल्क जरिये रसीद संख्या 3/16 दिनांक 27.6.16 को रूपये 1450 जमा करवाये गये। निर्माण स्वीकृति की आपति आमंत्रण सूचना समाचार पत्र दैनिक उधोग आसपास में दिनांक 2.7.16 के अंक में प्रकाशित हुई। अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ</p>	<p>विभागीय आदेश क्रमांक प.10(7)नविवि/3 / 2009पार्ट-III दिनांक 11.05.17 के द्वारा भवन विनियम में किये गये संशोधन तथा मॉडल स्थानीय निकाय नगरीय क्षेत्र(भवन) विनियम, 2010 के विनियम, 5.5. के अन्तर्गत आता हो तो उक्तानुसार कार्यवाही की जावे अन्यथा रिट याचिका संख्या 1554/2004 में पारित निर्णय दिनांक 12.1.17 के विरुद्ध प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश की गई एस.एल.पी. तथा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिव्यू याचिका के निर्णयाधीन सशर्त मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है कि इस स्वीकृति से सैट-बैक के निर्माण प्रशमित नहीं माने</p>

	<p>अभियन्ता की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.7.16 के द्वारा आवेदक ने निर्माण कार्य प्रस्तुत नक्शे के विपरीत कर लिया था भवन विनियम 2010 के अनुसार सैटबैक सामने 4.5 मीटर की बजाय 5.4 मीटर छोड़ा पीछे का सैटबैक 3.00 मीटर की बजाय 2.35 मीटर व पार्श्व के दक्षिण तरफ 3.00 मीटर की बजाय 1.4 मीटर व पार्श्व उत्तर में 3 मीटर की बजाय 1.1 मीटर सैटबैक छोड़ा है।</p>	<p>जावेगे तथा निर्माणकर्ता से भी इस आंशय की अप्डरेटेकिंग प्राप्त की जावे कि सैटबैक्स में किये गये निर्माण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. में पारित निर्णय व माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई रियू याचिका में पारित निर्णय के अनुसार सैटबैक निर्माण के प्रशमन के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु नगर पालिका स्वतंत्र रहेगी। राजस्थान नगर पालिका प्रशमन नियम, 1966 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।</p>
7.	<p>प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान अधिकृत अधिकारी 17.6.99 के बाद बसी कॉलोनियों की सुआॉमोटा 90-क की गई। उक्त सुआॉमोटा 90-क के लिए ब्लू प्रिन्ट पेपर पर ही ले-आउट प्लान तैयार किये गये उक्त ले-आउट पर ना तो खसरा इम्पोजिशन किया गया ना ही मास्टर प्लान इम्पोजिशन किया गया है। तथा उक्त ब्लू प्रिन्ट नक्शो के आधार पर लगभग 80 प्रतिशत पट्टे जारी कर दिये गये हैं। चूंकि वर्तमान में मास्टर प्लान में दर्शित उपयोग के अनुसार पट्टे जारी किये जाने हैं।</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 की उपधारा (2) तथा स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार 80 प्रतिशत पट्टे जारी किये जा चुके हैं। इस कारण शेष पट्टे भी स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार जारी किये जा सकते हैं।</p>
8.	<p>नगर निगम जयपुर के उपायुक्त राजस्व द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक प.6( )अति.आ(सा.प.)ननिच/2016/1443 दिनांक 10.01.17 द्वारा नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा आवंटन किये गये भूखण्ड संख्या ए-25 ट्रक स्टेण्ड को न्यास की स्वीकृति बिना अन्य को बैचान किये जाने के बाबत मार्गदर्शन हेतु।</p>	<p>नगर निगम जयपुर द्वारा संबंधित प्रकरण की पत्रावली के साथ अलग से प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करने पर इसका निस्तारण अलग से किया जायेगा।</p>
9.	<p>नगर निगम जयपुर के पत्र क्रमांक प.6 ( ) उपा.राज.दि/साप/ननिज/179 दिनांक 09.05.17 निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान चाहा गया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टेट ग्रन्ट एक्ट के तहत जारी किये जाने वाले पट्टों में सड़क की चौड़ाई 30 फीट रखी जानी है अथवा नहीं? तथा यदि किसी भूखण्ड का उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार मिश्रित/व्यावसायिक नहीं है एवं मौके पर आवासीय भूखण्ड पर दुकान निर्मित तो पट्टों दिया जा सकता है अथवा नहीं?</li> <li>90 वर्गमीटर भूमि पर बने हुये आवासों में पट्टा जारी करते समय सैटबैक निर्धारित किये जाने हैं अथवा नहीं एवं निर्माण स्वीकृति के क्या सैटबैक रखे जाने हैं।</li> <li>राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5.8.14 के अनुसार राजस्थान</li> </ol>	<p>उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p> <p>90 वर्गमीटर तक के आवासों में सैटबैक की बाध्यता नहीं है इस कारण पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p> <p>मास्टर प्लान 2025 के अनुसार दृशित भू-उपयोग अनुसार भू-उपयोग स्वीकृत किया जा सकता है।</p>

	<p>आवासन मण्डल के आवासीय भूखण्डों का उपयोग परिवर्तन किये जाने पर रोक लगा रखी है। अतः इस स्थिति में मास्टर प्लान 2025 में दर्शित मिश्रित भू-उपयोग दिया जा सकता है अथवा नहीं।</p> <p>IV. कच्ची बस्तियों में नियमन हेतु सड़क चौड़ाई का निर्धारित किस प्रकार किया जाना है।</p> <p>V. ले-आउट प्लान में दर्शित सैकटर रोड में संशोधन बाबत् निगम की एम्पावर्ड समिति अधिकृत है अथवा नहीं?</p>	<p>इस संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p> <p>बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित किया जावे।</p>
10.	<p>पालिका क्षेत्र में पंचायत काल में लोगों को ठिकाने के पट्टे एवं 150-150 गज के पट्टे दिये गये थे। उन पट्टों में ना ही खसरा नम्बर अंकित है और ना ही आस-पास की सीमाओं का वर्णन है। ऐसे पट्टाधारक पालिका में आकर नल बिजली एनओसी एवं निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन करते हैं परन्तु पट्टों में सीमाज्ञान नहीं होने एवं खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के कारण एनओसी नहीं दी जा रही है। जिससे पालिका को राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे पट्टाधारक पंचायत काल में जारी पट्टों एवं ठिकाने के पट्टों को पालिका में जमा करवा कर पालिका का पट्टा लेना चाहते हैं।</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए के अन्तर्गत विरचित नियम, 2015 व परिपत्र क्रमांक प.8(ग)(12)नियम/डीएलबी /15 / 15012 दिनांक 12.05.17 के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>
11.	<p>ग्राम पंचायत लालसोट के समय ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये थे। उन पट्टों पर किसी भी प्रकार का लाभ आमजन को नहीं मिल पाता है। वर्तमान में क्या उन पट्टों को नगर पालिका द्वारा पुनः जारी किया जा सकता है या नहीं इस संबंध में विरत्त मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान करावें जिससे की आमजन को सुविधा प्रदान की जा सकें।</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए के अन्तर्गत विरचित नियम, 2015 व परिपत्र क्रमांक प.8(ग) (12)नियम/डीएलबी/15/ 15012 दिनांक 12.05.17 के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>
12.	<p>नगर पालिका मुकन्दगढ़ के पत्र क्रमांक नपामु/2016-17/2422 दिनांक 17.02.2017 में श्री सुखवेन्द्र सिंह व अन्य के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय नवलगढ़ में एक वाद महेन्द्र आदि बनाम चिरंजीलाल आदि में आवेदकगण भी पक्षकार हैं तथा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश है।</p>	<p>माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् ही कार्यवाही की जावे।</p>
13.	<p>मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र में 100 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी स्थित है जिसमें अधिकतर भवनों का निर्माण भवन विनियम मानदण्डों के अनुरूप नहीं है</p>	<p>पुरानी आबादी/घनी आबादी/परकोटे के भीतर का क्षेत्र/लाल ढोरे के अन्दर का क्षेत्र में भवन विनियम 2010 के विनियम 5.5 को दृष्टिगत रखते हुये धारा 183 अन्तर्गत भवन रेखा निर्धारित कर पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है। क्योंकि इन</p>

	<p>तथा रास्तो की चौडाई 05 फीट से 12 फीट तक है। उक्त आबादी के लोग स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत अपने भवन का पट्टा जारी करवाना चाहते हैं। जिसके लिए श्रीमान् जी से निवेदन है कि निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें।</p>	<p>क्षेत्रों में भूमि आवासि की प्रक्रिया अनुसार मुआवजा के भुगतान के बगैर सड़क की चौडाई बढ़ाया जाना संभव नहीं है। इस कारण विभागीय आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016 –पार्ट/1516-30 दिनांक 25.4.17 के बिन्दु संख्या 7 (3) की निरन्तरता में विभागीय आदेश क्रमांक प.59डीएलबी/एसटीपी/सी.एम.जे.के.एस.वाई./ (116)/17/1673 दिनांक 17.5.17 के बिन्दु संख्या 1.3 में निम्न उल्लेख किया गया है:-</p> <p>“1.3 स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत दिये जाने वाले पट्टों से संबंधित भूमि/भवन नगर के पुरानी आबादी क्षेत्र/चार दीवारी क्षेत्र/घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, तथा इन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से जीरो सैटबेक पर निर्माण स्थित है तथा भवन विनियमों में भी ऐसे क्षेत्रों हेतु मौजूदा भवन रेखा रखते हुये तथा मौके पर उपलब्ध सड़क की चौडाई के अनुरूप ही स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है। अतः स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टों में सैटबेक एवं सड़क की चौडाई का मानदण्ड नहीं है एवं स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत मौके पर स्थित निर्माण एवं सड़क की चौडाई के अनुरूप ही पट्टा दिया जावेगा।”</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान करना उपयुक्त होगा।</p>
14	<p>राजस्व ग्राम चिडावा के खसरा नम्बर 1488/396 व 1489/400 कुल क्षेत्रफल 0.1857 है भूमि का आवासीय से संस्थानीक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु श्रीमती राजबाला पत्नी श्री रणधीर सिंह ने पत्रावली पालिका में प्रस्तुत की है। श्रीमान् जिला नगर नियोजक झुंझुनू के पत्रांक 2550-51 दिनांक 06.2.17 द्वारा संदर्भित प्रकरण अन्तर्गत गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.1.17 को पारित निर्णय के परिपेक्ष में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।</p>	<p>माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.17 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 को दृष्टिगत रखते हुये यदि आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना व्यापक जनहित में हो तो भू-उपयोग सक्षम समिति द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।</p>
15	<p>मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर के संबंध में विभिन्न निर्देश/परिपत्र जारी किये गये हैं जिनमें पाई गई निम्नांकित भ्रांतियों के संबंध में जिला कलेक्टर झुंझुनू के अ.शा.पत्र शहरी/विकास/2017/292 दिनांक 19.05.2017 के द्वारा निम्नांकित मार्गदर्शन चाहा गया है :-</p> <p>I. दिनांक 24.4.17 में पेराफेरी क्षेत्र में खातेदारी को 500 वर्गमीटर तक पट्टे जारी करने के निर्देश हैं। जबकि मास्टर प्लान में पेराफेरी क्षेत्र का भू-उपयोग, पशुपालन, कृषि कार्य आदि के लिए निर्धारित है। अभियान के दिशा-निर्देशों के</p>	<p>पेरा फेरी क्षेत्र में ग्रामीण/कृषि उपयोग व स्वयं खातेदार को 500 वर्गमीटर तक भवन निर्माण का विधिक अधिकार प्राप्त है व उक्त निर्माण अनुज्ञेय होने के कारण पट्टे दिये जा सकते हैं।</p>

	<p>अनुसार मास्टर प्लान में वर्णित भू-उपयोग परिवर्तन नहीं होना है ऐसी स्थिति में पट्टे जारी कैसे हो सकेंगे।</p>	
II.	<p>एम्पावर्ड कमेटियो में उपखण्ड अधिकारियों को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपखण्ड अधिकारीगण वर्तमान में राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वारा अभियान, 2017 तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान में व्यर्त होने से उपखण्ड अधिकारी की अनुपस्थिति में कौन सक्षम अधिकारी को एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष होगा। मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावे।</p>	<p>नगरीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एम्पावर्ड समिति में निर्णय लिया जा सकता है।</p>
III.	<p>मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनान्तर्गत आपत्ति विज्ञप्ति जारी करने का समय निर्धारित नहीं किया गया है। पूर्व 7 दिवस की आपत्ति विज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान है 7 दिवस की आपत्ति विज्ञप्ति के पत्रावली निष्पादन में अधिक समय लगता है।</p>	<p>7 दिवस की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं अतः तदनानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
IV.	<p>कुछ राजस्व ग्रामों की आबादी नगरपरिषद के सीमा विस्तार में नगर परिषद में आ गई। उक्त आबादी काफी पुरानी बसी हुई है एवं नगर परिषद के वार्डों का भाग है। इस आबादी में निवास करने वालों के पास कोई विधिवत दस्तावेज नहीं है, जिससे यह साबित हो की यह काफी वर्षों से इस भूमि पर आबाद है। ग्रामीण परिवेश में होने के रूप में इनके पास राशन कार्ड/विजली /पानी के बिल उपलब्ध है। नगर परिषद झुन्झुनू में सीमा में वार्ड संख्या 5 सीतसर ग्राम बसा हुआ है। यह ग्राम काफी पुराना है एवं दस्तावेजों के अभाव में पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। कृपाया मार्गदर्शन करावे की इनकी आबादी भूमि में बसे परिवारों का नियमन कैसे किया जावे?</p>	<p>स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत 300 वर्गगज तक के पट्टे दिये जाने योग्य सबूत हैं तो उन्हे पट्टे दिये जा सकते हैं। जिनके पास उपरोक्तानुसार पट्टे जारी किये जाने योग्य सबूत के दस्तावेज नहीं हैं उन्हे राजकीय भूमि पर नियमन संबंधित ओदश कमांक प.3(50) / नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.12 के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>
V.	<p>संयुक्त खातेदारी में खातेदार द्वारा मौके पर अपने मौखिक बटवारें के अनुसार भूखण्ड विक्रय कर दिये गये, परन्तु</p>	<p>तकासमें के अधिकार प्राधिकृत अधिकारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) को प्रदान किये जा चुके हैं, इस कारण तकासमें की कार्यवाही की जा सकती है व ले—आउट प्लॉन में संशोधन की आवश्यकता हो तो</p>

	<p>ले—आउट प्लान में उनके खसरा मिलान नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में क्या किया जावे? मार्गदर्शन प्रदान करें। वर्ष 2012 में मौके की स्थिति के बारे में पट्टा दिये जाने के आदेश थे।</p> <p>VI. कई प्रकरणों में खातेदारी में आज के कब्जा होल्डर के दस्तावेजों की श्रंखला मिलान नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि नियमन का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। पूर्व अभियान में अपूर्ण श्रंखला पर भी पट्टे जारी करने की छुट प्रदान की गई थी।</p> <p>VII. यदि दिनांक 17.6.1999 के बाद अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति को कृषि भूमि का हस्तान्तरण अकृषिक उपयोग के लिए किया गया है तो वह मान्य नहीं होगा। चूंकि कृषि उपयोग धारा 90 की कार्यवाही पूर्ण होने पर खत्म हो चुकी है। जिस पर 1999 एवं बाद के विकाय में कोई अन्तर नहीं रहता है। इस प्रकार इस बिन्दु पर विरोधाभास कृपया मार्गदर्शन प्रदान करावे।</p> <p>VIII. नगर परिषद् द्वारा निलाम/आवंटन में अनुज्ञा पत्र पश्चात् यदि आवंटी द्वारा लीज डीड प्राप्त नहीं की है एवं अपंजीकृत दस्तावेजों द्वारा केता को बेचान कर दिया है तो अंतिम केता के नाम लीज डीड जारी की जावे के निर्देश प्राप्त है परन्तु यदि लीज डीड जारी कर दी गई तत्पश्चात् केता द्वारा अपंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से क्य किये भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवंटन किया है तो नामान्तरण अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने की छुट के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करावे।</p>	<p>संशोधन किया जाकर कार्यवाही की जा सकती है, भवन निर्मित हो तो मौका स्थिति अनुसार आपत्तियां प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है। वर्ष 2012 में जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।</p> <p>अपंजीकृत दस्तावेज का पंजीकरण करवाने के पश्चात् नामान्तरण स्वीकार किया जावे। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2(30)निवि/3/2016 पार्ट दिनांक 20.05.17 तथा विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)नियम/डीएलबी/17/17639 दिनांक 24.05.17 के अनुसार कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा।</p> <p>लीजडीड जारी करने तथा पंजीकृत करवाये जाने के पश्चात् हस्तानान्तरण पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही किया जाना उपयुक्त होगा।</p>
16	<p>नगर पालिका विद्यमान विहार क्षेत्र में 80 प्रतिशत भूमि ठिकाने की पट्टे शुदा है। उक्त भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है। वर्तमान में भूमि धारकों के पास भूमि का टाइटल नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि भूखण्ड</p>	<p>बिन्दु संख्या 10 के अनुसार कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा।</p>

	स्वामियों/कब्जे धारियों को व्यक्तिगत पट्टे जारी किये जाते हैं तो नगर पालिका के राजस्व आय होगी एवं आमजन को राहत मिलेगी। कृपया इस संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करें।	
17	दिनांक 17.6.99 से पूर्व अस्तित्व में आई योजनाओं की 90 वीं की कार्यवाही वर्तमान मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व ही सम्पादित की जा चुकी है, ले-आउट का अनुमोदन किया जा चुका है। कॉलोनिया नगर पालिका श्रीमाधोपुर की मुख्य वार्ड सीमाओं में अवस्थित है तथा मास्टर प्लान सर्वे के समय भी प्लान दिनांक 19.6.12 से लागू है। वर्तमान मास्टर प्लान के अनुसार उक्त योजनाएं परिधिय नियंत्रण पट्टी में दर्शाई होने के कारण वर्तमान प्रचलित नियमों के अन्तर्गत उक्त कॉलोनियों में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रह है। परन्तु नगर पालिका श्रीमाधोपुर के मास्टर प्लान के बिन्दु संख्या 6.3 भू-उपयोग, अंकन एवं आवासि में वर्णित मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतिया/अनुमोदन सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृति, 90-वीं के आदेश, आवंटन, भू-उपयोग परिवर्तन, रूपान्तरण व नियमन आदि का समायोजन नहीं हो पाया है तो उन्हे समायोजित माना जावेगा के संनदर्भ में उपयुक्त पट्टे जारी किये जा सकते हैं। अथवा नहीं?	मास्टर प्लान के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे जारी किये जाना उपयुक्त होगा।
18	<p>नगर पालिका नीमकाथाना के स्वीकृत मास्टर प्लान में जहां आमजन द्वारा मकानात निर्माण किये हुये थे, वहां पर मास्टर प्लान में कहीं 60 फीट, कहीं 80 फीट व उससे ज्यादा सड़क प्रस्तावित कर दी गयी। जबकि मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व से ही मौके पर कहीं 20 फीट व कहीं 30 फीट सड़क स्थित हैं। मौके पर स्थित भूखण्ड व मकानों के आमजन द्वारा पट्टे चाहे जा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व कई भूखण्डों के 30 फीट सड़क निर्धारण कर पट्टे जारी किये जा चुके हैं।</p> <p>अतः कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करें, कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क 60 फीट, 80 फीट या इससे अधिक चौड़ाई की सड़कों को 30 फीट निर्धारित कर पट्टे जारी किये जा सकते हैं या नहीं।</p>	<p>भूमि आवासि की प्रक्रिया पूर्ण करने के अभाव में अथवा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 183 में भवन रेखा निर्धारित कर मुआवजा दिये बगैर सड़क की चौड़ाई बढ़ाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मौके की स्थिति को मास्टर प्लान का कमीटमेन्ट मानते हुए पूर्व में निर्धारित सड़क की चौड़ाई के आधार पर शेष पट्टे जारी करने की कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा।</p> <p>स्टेट ग्रान्ट व कच्ची बस्ती के पट्टे विभागीय आदेश क्रमांक 59/डीएलबी/ एस.टी.पी./सी.एम. जे.के.एस.वाई/(116)/17/1673 दिनांक 17.5.17 के बिन्दु संख्या 1.3 के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>

19.	<p>मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अन्तर्गत शिविरों में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन किया जाना है जिसके लिए ले—आउट प्लान की आवश्यकता होती है। चूंकि पूर्व में नगर पालिका मण्डावा में चन्द्रकला आर्किटेक्चर को ले—आउट प्लान बनाने हेतु अधिकृत किया गया था लेकिन उक्त फर्म का न्यायालय में वाद लघित होने के कारण कार्य करवाया जाना संभव नहीं है।</p> <p>श्रीमान् जी द्वारा कन्सलटेन्ट सूची में से किशोर टेक्नोकेड प्राइवेट लि. का नाम सूची में शामिल होने के कारण उक्त फर्म से कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का सर्वे करवाकर ले—आउट प्लान बनाया जा सकता है या नहीं। उक्त के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करे ताकि आमजन की समस्या का त्वरित समाधान हो सके एवं योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके।</p>	<p>न्यायालय में लघित वाद में अन्य कन्सलटेन्ट के माध्यम से कार्य करवाने के संबंध में रथगन आदेश पारित नहीं किया गया हो तो कन्सलटेन्ट की सूची में से कार्य करवाया जा सकता है।</p>
20.	<p>अपील संख्या 64/15 श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रतन लाल कुमाव, पिपराली रोड, समर्थपुरा सीकर बनाम आयुक्त नगर परिषद सीकर में निदेशालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में नगर परिषद सीकर द्वारा परिषद पत्र क्रमांक 19201 दिनांक 14.2.17 द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया था। जिसके संबंध में निदेशालय का पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 19.4.17 प्राप्त हुआ। पत्र के अनुसार राजस्थान नगर पालिका (कम्पाउण्डिंग व कम्प्रोमाइजिंग ऑफ आफेन्सेस) रूल्स, 1966 विलोपित नहीं किये गये हैं। उक्त नियम, 1966 आज भी प्रभावी है। अतः उक्त नियम राजस्थान नगर पालिका (कम्पाउण्डिंग व कम्प्रोमाइजिंग ऑफ आफेन्सेस) रूल्स, 1966 से राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी प्रकरण से होने वाले प्रभाव के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें।</p>	<p>बिन्दु संख्या 5 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। तथा डी.बी.सि.रिट याचिका (पी.आई.एल.) 1554/2004 में पारित निर्णय दिनांक 12.1.17 के विरुद्ध रियू याचिका तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत एस.एल.पी. में पारित होने वाले निर्णयाधीन नियमन की कार्यवाही निर्माणकर्ता से अप्परेटिंग प्राप्त कर की जा सकती है।</p>
21.	<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा पति एवं पत्नी के नाम से जारी करने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त पट्टा आवेदन हेतु एक निर्धारित प्रपत्र है जिसमें पट्टे हेतु आवेदित मकान के संबंध के कब्जा सबूत के रूप में सामान्य हेतु वर्ष 1990 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वर्ष 1996 से पूर्व की मतदाता सूची में आपने पूर्व जो के नाम अंकित कर क्रम बनाते हुए आवेदन</p>	<p>हक्क्याग पत्र पंजीकृत प्राप्त करना उपयुक्त होगा तथा सम्पत्ति का बटवारा मौखिक रूप से पूर्व में किया जा चुका है तो इसका भी पंजीयन करवाना उपयुक्त होगा।</p>

	<p>किया जाता है। जिन पूर्जों के नाम अंकित किये जाते उनकी मृत्यु होने की देशों में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस के रूप में स्टाम्प पर कुर्सीनामा आवेदनकर्ता के अतिरिक्त अन्य वारिसों द्वारा हकत्याग स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर पत्रावली में संलग्न किया जाता है। यह हकत्याग रजिस्ट्र्ड नहीं कराया जाता है। हकत्याग /बटवारानामा को रजिस्ट्र्ड करने कर आवेदक से स्वामित्व सबूत के लिए निर्देशित किया जाता है जबकि आवेदक के पास पट्टा एवं अन्य स्वामित्व सबूत उपलब्ध नहीं होते हैं।</p>	
22	<p>श्री रामावतार पुत्र श्री मातादीन यादव द्वारा आवासीय प्लॉट को व्यवसायिक कार्य हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके उपरान्त उक्त प्लॉट को आवासीय से व्यवसायिक उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु उप नगर नियोजक अलवर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4449 दिनांक 05.7.16 के द्वारा राय देने हेतु जारी किया गया था। उप नगर नियोजक अलवर को नियमानुसार समयावधि में अपनी राय प्रस्तुत करनी थी। कार्यालय द्वारा 08.9.16 को आम सूचना एतराजी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। आपत्ति सूचना क्रमांक 977 दिनांक 25.4.17 को जारी की गई। जिसकी समयावधि समाप्त हो चुकी है उप नगर नियोजक अलवर को पुनः स्मरण पत्र जारी करने पर पत्र क्रमांक 429 दिनांक 26.4.17 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 12.01.17 में आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन निषेध किया गया है। चूंकि प्रकरण में विलम्ब आंतरिक स्तर पर हुआ है। उक्त भूखण्ड का क्षेत्र मास्टर प्लान में व्यवसायिक उपयोग हेतु घोषित है।</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 के अनुसार आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि उक्त भूमि मास्टर प्लान में व्यवसायिक उपयोग हेतु दर्शित है। इस कारण गुलाब कोठारी बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 12.1.17 बाधक नहीं है। वरिष्ठ नगर नियोजक को भी हिदायत दी जा सकती है कि प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा जावे तथा गलत राय प्रेषित नहीं की जावे।</p>
23	<p>17.6.99 के बाद शहर में कई आवासीय कॉलोनियों बसी हुई हैं जिनमें सुविधा क्षेत्र 30 प्रतिशत या इससे भी कम है। इन कॉलोनियों में मकान भी निर्मित हो चुके हैं अब इन कॉलोनियों में सुविधा क्षेत्र छोड़ा जाना संभव नहीं है। इन कॉलोनियों में पट्टा नहीं बनने से नगर पालिका द्वारा एनओसी नहीं दी जाती है। जिससे नगर पालिका को भूमि रूपान्तरण शुल्क, लीज राशि, विकास शुल्क का सीधा नुकसान हो रहा है व</p>	<p>दिनांक 17.6.99 के पश्चात् अस्तित्व में आई कॉलोनियों में राजस्थान नगर सुधार (उपविभाजन पुनर्गठन व विकास) नियम, 1975 के नियम 12 को दृष्टिगत रखते हुए शिथिलता प्रदान करना उपयुक्त होगा तथा आदेश क्रमांक प.2 (30) नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 20.05.17 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p> <p>दिनांक 17.06.99 के बाद की कॉलोनियों में 60:40 का अनुपात सामान्यता रखा जाना है। किसी विशेष कॉलोनी में यदि विशिष्ट स्थिति के कारण उक्त अनुपात में शिथिलता चाहिए तो पूर्ण आधार व</p>

आम जनता को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली पानी की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

अतः जनहित में कृषि भूमि पर वर्ष 2015 तक वर्सी सभी आवासीय कॉलोनियों में मौके पर जितना सुविधा क्षेत्र जैसे सड़क की चौड़ाई इत्यादि उपलब्ध हो के अनुसार ही मान्यता देने का कष्ट करावें।

सिवायचक भूमियों पर अनाधिकृत कब्जे का 300 वर्गमीटर तक आवासीय निर्माणों का नियमन की कट ऑफ डेट 15.8.9 तक की गई थी जो सराहनीय है लेकिन राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(30) नविवि/3/16 जयपुर दिनांक 11.5.17 के तहत बिन्दु क्रमांक 2 के अन्तर्गत 300 वर्गमीटर तक राजकीय भूमि के नियमन बाबत् जो दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उन्हे प्रत्याहारित किया जाता है। इस कारण से इन शिविरों में अतिक्रमण नियमन के पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं। जिससे आमजन मायूस है। अतः सरकार इस पर विचार मंथन कर शीघ्र निर्णय दिलाये जिससे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों में आम जनता को राहत मिल सके।

स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत 1 रुपये 1.1.65 से पूर्व सामान्य वर्ग व 1.1.85 से पूर्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पट्टा देने का प्रावधान था जिसे राज्य सरकार ने इन शिविरों में सामान्य वर्ग के लिए 1.1.90 व अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 1.1.96 की कट ऑफ डेट निर्धारण कर 300 वर्गमीटर तक भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एकट के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया। यह एक सराहनीय कदम है सरकार का परन्तु उक्त निर्णय के साथ मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग तथा सड़क चौड़ाई के मापदण्डों के अनुरूप ही हो सकेगा व भवन विनियम में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही नियमन होगा कि शर्त लगाने से पालिका क्षेत्रों में घनी आबादी के अन्तर्गत इस प्रकार के नियमन नहीं होने से अभी तक एक भी नियमन नहीं हुआ है।

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2 (30) नविवि/3/2016 दिनांक 11.05.17 के बिन्दु संख्या 2 व 5 को आदेश क्रमांक प.8 (ग)नियम/ डीएलबी/2017/18656 दिनांक 25.05.17 द्वारा प्रत्याहारित किया जा चुका है। अतः आदेश दिनांक 25.05.17 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

पुरानी आबादी/घनी आबादी/ परकोटे के भीतर का क्षेत्र/लाल डोरे के अन्दर का क्षेत्र में भवन विनियम 2010 के विनियम 5.5 को दृष्टिगत रखते हुये धारा 183 अन्तर्गत भवन रेखा निर्धारित कर पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है। वयोंकि इन क्षेत्रों में भूमि आवासि की प्रक्रिया अनुसार मुआवजा के भुगतान के बगैर सड़क की चौड़ाई बढ़ाया जाना संभव नहीं है। इस कारण विभागीय आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016–पार्ट/1516 –30 दिनांक 25.4.17 के बिन्दु संख्या 7 (3) की निरन्तरता में विभागीय आदेश क्रमांक प.59 डीएलबी/ एसटीपी/सी.एम.जे.के.एस.वाई./ (116) / 17 / 1673 दिनांक 17.5.17 के बिन्दु संख्या 1.3 में निम्न उल्लेख किया गया है:-

"1.3 स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत दिये जाने वाले पट्टों से संबंधित भूमि/भवन नगर के पुरानी आबादी क्षेत्र/चार दीवारी क्षेत्र/घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, तथा इन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से जीरो सेटबेक पर निर्माण रिथित है तथा भवन विनियमों में भी ऐसे क्षेत्रों हेतु मौजूदा भवन रेखा रखते हुये तथा मौके पर उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुरूप ही स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है। अतः स्टेट ग्रान्ट एकट के पट्टों में सेटबेक एवं सड़क की चौड़ाई का मानदण्ड नहीं है एवं स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत मौके

	<p>नगर पालिका सुमेरपुर द्वारा कच्ची बस्ती की कट-ऑफ डैट वर्ष 2004 को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।</p>	<p>पर स्थित निर्माण एवं सडक की चौड़ाई के अनुरूप ही पट्टा दिया जावेगा।” अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
	<p>नगर पालिका सुमेरपुर में मास्टर प्लान लागू है। मास्टर प्लान ड्राफ्ट प्रारूप बनाते समय शहर का अधिकांश वाणिज्यिक क्षेत्र को वाणिज्यिक न दर्शाकर आवासीय दर्शाया गया है जबकि मौके पर वाणिज्यिक दूकाने कई वर्षों से संचालित हो रही है। साथ ही जो क्षेत्र मास्टर प्लान में वाणिज्यिक घोषित है पालिका द्वारा इन क्षेत्र में कब्जों का नियमन नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका एकट में आवासीय कब्जों का ही नियमन करने का प्रावधान है। वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि को निलाममी द्वारा देने का प्रावधान होने से इनका नियमन नहीं किया जा रहा है। जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र में लोगों के 50–60 वर्ष पुराने कब्जे हैं जिनका नगरपालिका निलाम भी नहीं कर सकती व हटा भी नहीं सकती है न ही नियमन कर सकती है। मौके पर कब्जाधारी वर्तमान वाणिज्यिक शुल्क जमा कराने के लिए तैयार है।</p>	<p>बिन्दु संख्या 2 के अनुसार विभागीय आदेश क्रमांक 1673 दिनांक 17.5.17 के बिन्दु संख्या 1:3 के अनुसार कार्यवाही किया जा सकता। कच्ची बस्ती नियमन हेतु कट ऑफडेट दिनांक 15.8.09 निर्धारित की जा चुकी है। आदेश क्रमांक प.8(ग)( ) नियम/डीएलबी /17/25748 दिनांक 22.06.17 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।</p>
24	<p>नगर पालिका रावतभाटा द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उपरोक्त प्रावधानों के तहत नगर पालिका में निहित अथवा नगर पालिका को हस्तान्तरित हुई ऐसी समस्त सिवाये चक/राजकीय भूमियों/नगर पालिका की भूमियों पर दिनांक 15.8.09 तक के आवासीय उपयोग के निर्मित अतिक्रमणों की 300 वर्गगज तक की भूमि का नियमन किया जाना है, जबकि नगर पालिका क्षेत्र में 300 वर्गगज से अधिक भूमि पर आवासीय अतिक्रमण है, जिनका नियमन किया जावे या नहीं।</li> <li>जिन निर्मित कब्जों की भूमि का उपयोग आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक या अन्य उपयोग किया जा रहा है, ऐसे अवैध निर्मित अतिक्रमणों का</li> </ol>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 के उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिनियम लागू होने व मास्टर प्लान लागू होने के पूर्व आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है। मास्टर प्लान लागू होने के पूर्व आवासीय निर्माण को मास्टर प्लान का कमीटमेन्ट माना जाकर आवासीय भूखण्डों का पट्टा जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार वाणिज्य भूमि का नियमन विभागीय आदेश प. 3(50)/नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.12 व दिनांक 06.01.16 के अनुसार किया जा सकता है।</p> <p>विभागीय आदेश प.3(50)/नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.12 व दिनांक 06.01.16 के अनुसार 300 वर्गगज से अधिक भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है।</p> <p>मिश्रीत भू-उपयोग का पट्टा विभागीय आदेश प. 3(50)/नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.12 व दिनांक 06.01.16 के अनुसार जारी किया जा सकता है।</p>

<p>नियमन किया जावे या नहीं।</p> <p>3. जिन व्यक्तियों के नाम पर एक से अधिक अतिक्रमण अथवा अवैध निर्माण होना पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में उनका एक भी नियमन किया जा सकता है, या नहीं।</p>	<p>एक से अधिक अतिक्रमण है तो आवेदक से एक अतिक्रमण को नियमित कराने का विकल्प लिया जावे। व अन्य निर्माण नियमानुसार हटाया जावे। जिस अतिक्रमण के नियमन का विकल्प लिया गया है उसका नियमन किया जावे तथा अन्य अतिक्रमण को हटाया जाकर उक्त भूमि की नीलामी की जावे।</p>
<p>4. जिन व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम पर भी एक से अधिक वैध निर्माण व अतिक्रमण हो, तो व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम पर भी एक से अधिक अवैध निर्माण व अतिक्रमण हो, तो ऐसे मामलों में भी क्या नियमन किया जा सकता है, या नहीं।</p>	<p>यदि परिवार का व्यस्क सदस्य परिवार पर आश्रित नहीं हो तथा अन्यत्र अवैध निर्माण नहीं होने व अतिक्रमण नहीं होने पर ही नियमन किया जा सकता है। अपात्र आश्रित परिवार के व्यक्तियों का कब्जा नियमानुसार हटाया जावे।</p>
<p>5. जिस व्यक्ति का अवैध निर्माण/अतिक्रमण पूर्व से ही है, और उसके द्वारा बाद में नगर पालिका की किसी आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटित या क्या किया जाता है तो क्या ऐसे व्यक्तियों के अवैध निर्मित आवासीय कब्जों की भूमि का नियमन किया जा सकता है, या नहीं।</p>	<p>आवासीय योजना में यदि आंवटी भूखण्ड रखना चाहता है तो ऐसी स्थिति में नियमन नहीं किया जा सकता है। इस कारण अवैध निर्माण/अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जावे। यदि आवासीय योजना में आंवटी भूखण्ड नहीं रखना चाहता है तो उसे निरस्त करने के पश्चात् ही अतिक्रमित भूमि का नियमानुसार पट्टा जारी किया जाना उपयुक्त होगा।</p>
<p>6. रावतभाटा के अनुमोदित मास्टर प्लान 2031 का अनुमोदन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.3.12 के द्वारा किया गया है, जबकि रावतभाटा क्षेत्र के दिनांक 15.8.09 तक के अवैध निर्मित आवासीय उपयोग के कब्जों की भूमि का नियमन किया जाना है, ऐसे मामलों में मास्टर प्लान के अनुज्ञेय उपयोग तथा सड़क चौड़ाई के मापदण्ड लागू होगे या नहीं।</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिनियम लागू होने व मास्टर प्लान लागू होने के पूर्व आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है। मास्टर प्लान लागू होने के पूर्व आवासीय निर्माण को मास्टर प्लान का कमीटमेन्ट माना जाकर आवासीय भूखण्डों का पट्टा जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार वाणिज्य भूमि का नियमन विभागीय आदेश प. 3(50)/नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.12 व दिनांक 06.01.16 के अनुसार किया जा सकता है।</p>
<p>7. जिन निर्मित भवनों में वर्तमान प्रचलित भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निर्माण किया जाना नहीं पाये जाने पर क्या ऐसे आवासीय भवनों के कब्जों की भूमि का नियमन कैसे किया जावे गा स्पष्ट निर्देश प्रदान करावें।</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 183 के अनुसार भवन रेखा निर्धारित की जाकर कच्ची बस्ती/स्टेट ग्रान्ट के अन्तर्गत नियमन किया जा सकता है। विभागीय आदेश क्रमांक 59/डीएलबी/एस.टी.पी./सी.एम.जे.के.एस.वाई/(116)/17/1673 दिनांक 17.5.17 के बिन्दु संख्या 1.3 के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>
<p>8. विभागीय परिपत्र दिनांक 06.1.16 के राजकीय भूमियों के नियमन के संबंध में है, जिसके अनुसार ऐसे निर्माणों/अतिक्रमणों के नियमन अन्तर्गत क्या ऐसी सघन बरित्यों की आबादी भूमि के नियमन अन्तर्गत क्षेत्र की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई तृतीय व</p>	<p>विभागीय आदेश प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 20.05.17 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।</p>

	<p>चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका क्षेत्रों में 20 फीट मान्य होगी या नहीं।</p> <p>9. सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट रखा जाना आवश्यक होने की स्थिति में जिन अवैध निर्मित क्षेत्रों में 30 फीट से कम सड़क/रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में क्या ऐसे अतिक्रमणों का नियमन किया जा सकेगा या नहीं, कार्यशाला में इस बिन्दु पर यह मौखिक निर्देश दिये गये थे, कि यदि मौके पर 30 फीट से कम रास्ते की भूमि उपलब्ध चौड़ाई के अतिरिक्त शेष भूमि दोनों तरफ कब्जाधारियों की भूमि से ली जाकर उनके नक्शों में कट/कम कर नियमन की कार्यवाही की जावे।</p> <p>10. अतिक्रमण नियमन के मामलों में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.9.12 के आधार पर नियमन दर वसूल की जानी है, परन्तु ऐसे नियमन किय जाने वाले प्रकरणों में 99 वर्षीय लीज राशि क्या नियमन दर के अनुसार ली जावे या राजस्थान नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 नियम 7 के तहत आरक्षित दर अनुसार ली जावे, स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करावे।</p>	<p>लीज राशि आरक्षित दर के आधार पर राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसार वसूलनीय है।</p>
25	<p>नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016 पार्ट 1516-30 दिनांक 25.4.17 के बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15.8.09 तक के 300 वर्गगज तक के अनाधिकृत आवासीय निर्माणों के नियमन के प्रावधान किये गये हैं। इसके पश्चात् नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश 3/2016 दिनांक 11.5.17 के बिन्दु संख्या 2 में राजकीय भूमि नियमन बाबत् दिशा-निर्देशों को प्रत्याहारित कर लिया गया है। कृपाया निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें।</p> <p>1. उक्त सिवायचक खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 है भूमि जिस पर करीब 30 वर्षों से आवासीय एवं व्यावसायिक दुकाने निर्मित है।</p> <p>2. उक्त भूमि का ले-आउट प्लान 2011 में जिला उपनगर नियोजक से स्वीकृत किया जा चुका है। जिसमें 60:40 का अनुपात वर्तमान में स्थित है।</p> <p>3. उक्त भूमि पर हुये निर्माण 15.8.09 से पूर्व के कब्जाधारी हैं। एवं जिनके द्वारा पट्टे हेतु पत्रावली नगरपरिषद में प्रस्तुत की हुई हैं जो विचाराधीन हैं।</p>	<p>पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2 (30) नविवि/3/2016 दिनांक 11.05.17 के बिन्दु संख्या 2 व 5 को आदेश क्रमांक प.8 (ग)नियम/डीएलबी/2017/18656 दिनांक 25.05.17 द्वारा प्रत्याहारित किया जा चुका है। अतः आदेश दिनांक 25.05.17 के अनुसार कार्यवाही की जावे। आदेश प.3(50)/नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.12 व दिनांक 06.01.16 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।</p>

26	<p>पालिका क्षेत्र डेगाना में पूर्व में खातेदारी जमीन पर कॉलोनिया बस चुकी है, उन बसी हुई कॉलोनिया की भूमि की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा, गैर मुमकिन लाटा व गैर मुमकिन बेरा है।</p> <p>अतः उक्त स्थिति में क्या उपरोक्त भूमि किस्मों पर स्थित निर्माणों का नियमन पालिका द्वारा स्व-मोटा के तहत किया जा सकता है या नहीं उचित मार्गदर्शन प्रदान करावे।</p>	<p>राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए की उपधारा (8) के अन्तर्गत सूमोटो कार्यवाही की जा सकती है।</p>
27	<p>स्थानीय पालिका आजादी के पूर्व की होकर पूरा शहर परकोटे के अन्दर बसा हुआ है। शहर में सभी सड़कें/गलियां सकड़ी हैं तथा बने हुये सभी मकानात भवन विनियमों से निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं हैं तथा मास्टर प्लान के अनुज्ञेय उपयोग कुछ स्थानों पर व्यवसायिक दर्शाया गया है जबकि वहां पर आवासीय मकानात बने हुये हैं। जिसके कारण आम नागरिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत पट्टे जारी नहीं किये जा पा रहे हैं।</p> <p>अतः कृपया यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करावे ताकि आम नागरिकों को राहत दिलायी जा सके।</p>	<p>उक्त निर्माण वर्तमान भवन विनियमों व मास्टर प्लान प्रभावी होने के पूर्व के हैं। इस कारण भवन विनियम 2010 के विनियम 5.5 तथा मास्टर प्लान का कमीटमेन्ट मानते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 के उपधारा (2) के प्रावधानों तथा धारा 183 के अन्तर्गत भवन रेखा निर्धारित की जाकर पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>
28	<p>इस कार्यालय द्वारा राजस्थान भवन विनियम (संशोधित) 2013 के बिन्दु संख्या 18.06 की पालना में निर्माण स्वीकृतियों हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन में स्वामित्व की जांच कर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु एडवोकेट को पंजीकृत फीस 5000/- रुपये परिषद कोष में जमा कर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/मानचित्र/14-15/17208 दिनांक 20.02.15 द्वारा पंजीकृत किया गया।</p> <p>एडवोकेट से पंजीकरण की राशि एक बार ही जमा करवाई जानी है या प्रतिवर्ष पंजीकरण की राशि जमा करवाई जानी है। के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया जो आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।</p>	<p>एडवोकेट से पंजीकरण राशि एकबार ही वसूलनीय है।</p>
29	<p>नवगठित डेगाना नगर पालिका का गठन दिनांक 11.03.15 को किया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविरों के दौरान आमजन द्वारा पूर्व की ग्राम पंचायतों द्वारा जारी 1960-70 दशक के बीच जारी पट्टे जो की आवेदकों के दादा पिता के नाम से जारी किये हुए को पालिका में जमा करवाकर स्वयं के नाम से पट्टे जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।</p> <p>अतः इस संबंध में पूर्व में ग्राम पंचायत</p>	<p>बिन्दु संख्या 9 के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए के अन्तर्गत पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>

	द्वारा जारी पट्टों का वर्तमान में स्टेट ग्रान्ट के रूप में आवेदन को जारी किया जा सकता है या नहीं इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करवाने का श्रम करावे।	
30	नगर पालिका केकड़ी के पत्र क्रमांक नपाके/2017–18/854 दिनांक 20.05.2017 द्वारा दिनांक 04.12.09 को श्री जगदीशस्वरूप मेवाड़ा को विक्रय खांचा भूमि 10x90 फीट के आगे दूसरी बार खांचा भूमि प्रार्थी को विक्रय की जा सकती है अथवा नहीं है ?	नगर पालिका बोर्ड द्वारा दिनांक 16.6.12 के प्रस्ताव संख्या 5 की पालना सुनिश्चित की जावे।
31	नगर पालिका डेगाना द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया है कि कब्जा नियमन एवं स्टेट ग्रान्ट के पट्टे हेतु जो पत्रावलियां प्राप्त हो रही उनमें अधिकांशत 30 फीट से कम चौड़ी रोड पर निर्माण किये हुए हैं एवं वर्तमान में प्रचलित बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है।	विभागीय आदेश क्रमांक 59/डीएलबी/एस.टी.पी. /सी.एम.जे.के.एस.वाई/ (116)/17/1673 दिनांक 17.5.17 के बिन्दु संख्या 1.3 के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं तथा विभागीय आदेश प.2(30) नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 20.05.17 के बिन्दु संख्या 8 को द्वष्टिगत रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
32	नगर निगम अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक योजना/2017–18/80 दिनांक 23.05.2017 द्वारा भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.12.16 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो जाने के कारण इस प्रकृति के प्रकरणों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है।	आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/27940 दिनांक 13.07.17 को जारी किया जाकर अवधि 31.03.18 तक बढ़ाई जा चुकी है।
33	नगर पालिका डेगाना द्वारा कार्यालय में व्यवसायिक भू-उपयोग से संबंधित पत्रावली प्राप्त हुई है। जिसमें श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर की राय प्राप्त हो चुकी है। जिसमें 60 फीट रास्ता नहीं होने की स्थिति में पत्रावली को शिथिलता समिति में प्रस्तुत करने की राय प्राप्त हुई है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार 60 फीट से कम रास्ते पर व्यवसायिक निर्माण अनुमति नहीं दी जा सकती है तो इस स्थिति में शिथिलता समिति में पत्रावली को रास्ते में छूट दी जा सकती है या नहीं और दी जा सकती है तो कितनी दी जा सकती है। उचित मार्गदर्शन प्रदान करावे।	बिन्दु संख्या 2 के अनुसार शिथिलता प्रदान करते हुए कार्यवाही की जा सकती है।
34	दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट रखते हुए शेष क्षेत्र का पट्टा जारी किये जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याणकारी योजना" बाबत सम संख्या आदेश	विभागीय आदेश क्रमांक 59/डीएलबी/एस.टी.पी. /सी.एम.जे.के.एस.वाई/ (116)/17/1673 दिनांक 17.5.17 के बिन्दु संख्या 1.3 के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं तथा विभागीय आदेश प.2(30) नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 20.05.17 के बिन्दु संख्या 8 को द्वष्टिगत रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

	<p>दिनांक 25.04.17 के बिन्दु सं. 01 (II) में यह उल्लेखित है कि यदि किसी कॉलोनी में पूर्व में सड़क की चौड़ाई निर्धारित कर पट्टे दिये जा चुके हैं व कुछ पट्टे दिये जाने शेष हैं तो सड़क की उपलब्ध चौड़ाई व पूर्व में जारी पट्टों के अनुसार शेष मकानों के पट्टे भी दिये जा सकते हैं।</p> <p>प्रासंगिक आदेश/स्पष्टीकरण में यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि किसी योजना में सड़क मार्गाधिकार को 30फीट से कम मानते हुए पूर्व में भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं तो वर्तमान में शेष आवेदित पत्रावलियों का निस्तारण सड़क मार्गाधिकार 30फीट मानते हुए किया जाना है अथवा पूर्व स्वीकृत (30फीट से कम) सड़क मार्गाधिकार मानते हुए किये जाने हैं। कृपाया मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करे ताकि अभियान में विचाराधीन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।</p>	
35	<p>नगर पालिका सादुलशहर के पत्र क्रमांक 316 दिनांक 15.05.17 में अवगत कराया की पश्चात भाखडा मण्डी विकास समिति हनुमानगढ़ द्वारा आवंटित भूखण्डों को आवंटित प्रार्थीगणों द्वारा बिना मूल लीज डीड के अभाव में पंजीकृत/अपंजीकृत दस्तवेजों के आधार पर आगे से आगे बेचान कर दिया।</p> <p>पूर्व के प्रशासन शहरों अभियान 2012 में वित्त विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.2(19) एफ.डी./टैक्स /2007-96 दिनांक 31.12.12 प्रभावी है अथवा नहीं।</p>	<p>जिन प्रकरणों में लीजडीड जारी नहीं है उनमें लीजडीड जारी करने की कार्यवाही मन्डी समिति के नियमानुसार जारी की जा सकती है।</p> <p>आदेश दिनांक 31.12.12 के अनुसार ही कार्यवाही की जावे।</p>
36	<p>नगर पालिका श्रीकरनपुर के पत्र दिनांक 595 दिनांक 17.05.17 द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि बीकानेर स्टेट समय के विक्रयशुद्धा भूमि पर पुनः नगर पालिका द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी किये जा सकते हैं अथवा नहीं।</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए के अन्तर्गत पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>
37	<p>नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/16 जयपुर दिनांक 11 मई 2017 के द्वारा 300 वर्गमीटर तक राजकीय भूमि के नियमन बाबत जो दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्हे प्रत्याहारित (revoke) किया गया है। इस कारण ऐसे आवेदन पत्रों को पालिका द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है।</p>	<p>पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2 (30) नविवि/3/2016 दिनांक 11.05.17 के बिन्दु संख्या 2 व 5 को आदेश क्रमांक प.8 (ग)नियम/डीएलबी/2017/18656 दिनांक 25.05.17 द्वारा प्रत्याहारित किया जा चुका है। अतः आदेश दिनांक 25.05.17 के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p>

38	<p>नगर पालिका पदमपुर क्षेत्र में पालिका द्वारा आवंटित/विक्रित, आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्डों की क्रेता द्वारा लीज डीड जारी नहीं करवाई जाकर विक्रय/विरातन तबादला उपरान्त अंतिम क्रेता को पंजीकृत/अपंजीकृत बैयनामा से हस्तान्तरण पर अंतिम क्रेता के नाम से लीजडीड जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में (पूर्व के अभियान) में नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. के पत्रांक प.3(24) नविवि / 3 / 2003 जयपुर दिनांक 19. 02.13 द्वारा शिथिलता प्रदान की गई थी जिसकी प्रति संलग्न है।</p>	<p>आदेश क्रमांक प.3(24)नविवि / 3 / 2003 दिनांक 19.2.13 के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p>
39	<p>नगर पालिका सूरतगढ़ के पत्र क्रमांक भूमि/2017–18/1689 दिनांक 18.05.17 द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि कच्ची बस्ती कब्जा नियमन संबंधी करीब 1500 पत्रावलियां हैं जिस पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता, अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पालिका के हस्ताक्षर नहीं हैं। नियमनी द्वारा पट्टा पर भवन निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु अनापति प्रमाण पत्र चाहे जा रहे हैं। पत्रावलियां अपूर्ण होने पर चाहे जाने वाला अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाना असंभव है।</p>	<p>पट्टों की मौका जांच करवाकर इन प्रकरणों की पुनः एम्पावर्ड समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने तथा जो पट्टे नियमानुसार जारी हुए हैं उनको मान्यता प्रदान करते हुए रिवेलीडेट किया जावे तथा जो पट्टे नियमानुसार जारी नहीं हुए हैं उन्हे निरस्त किया जावे।</p>
40	<p>नगर परिषद हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक एफ.1 (विविध)(एमएसजेकएस) (2017) / 143 दिनांक 11.05.17 द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया कि मण्डी विकास समिति की स्वीकृत आवासीय/वाणिज्यिक योजना में सुविधा अनुसार बस चुकी है। इन क्षेत्रों में बसी हुई बस्तियों के नियमन के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में प्रशासन शहरों के संघ अभियान में आदेश दिनांक 21.11.12 जारी कर इन्हें नगर परिषद स्तर पर डिनोटिफाईट कर नियमन करने के अधिकार दिये गये थे इस आदेश से नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा कई बस्तीयों को डिनोटिफाई किया जाकर उन पर स्थित कब्जों को नियमित किया गया था। जनसमस्या के निराकरण/समाधान के लिए पूर्व में जारी किये गये आदेश दिनांक 21.11.12 को पुनः लागू करने का श्रम करे।</p>	<p>आदेश क्रमांक एफ.7 (ड)भूमि/अभि-12/21330 दिनांक 21.11.12 के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p>
41	<p>मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के दौरान कई ऐसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जो करीब 50 वर्षों से नगर पालिका रामगंजमण्डी में किराये नामे पर चल रहे हैं। आवेदकों द्वारा स्टेटग्रांट एक्ट</p>	<p>किरायेनामे पर दी गई आवासीय भूमि का नियमन आदेश क्रमांक प.3 (50) नविवि / 03 दिनांक 21.9.12 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(50) नविवि / 3 / 2012 पार्ट दिनांक 06.01.16 के अन्तर्गत राजकीय भूमि मानकर नियमन किया जावे।</p>

	<p>के तहत नियमन कर पट्टा दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये हैं। परन्तु इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने से उक्त आवेदकों को शिविर का लाभ नहीं मिल पा रहा है।</p>	
42	<p>नगर पालिका केशवरायपाटन के पत्र क्रमांक मुसजक शिविर/2017/1717 दिनांक 15.05.17 द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया की पूर्व में जारी पट्टों के पंजीयन नहीं करवाया गया है। ऐसे पट्टा विलेखों को दौरान पुनः निस्पादित कर पुनर्वेध (रिवेलिडेट) किये जाने बाबत छूट प्रदान की है। क्या उक्त छूट भूराजर्स्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी/ए के अतिरिक्त जारी अन्य प्रकार के पट्टा विलेखों पर भी है ?</p> <p>2. पट्टों, भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण के संबंध में।</p> <p>नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.17 के बिन्दु सं. 1 के उप बिन्दु सं. xvii के अनुसार वर्ष 2012 की धारा 90ए के नियमों के नियम 27 में पट्टों में नाम के नामान्तरण के प्रावधानों अनुसार ही धारा 90बी के अन्तर्गत आवेदित मामलों में जारी पट्टों के नाम हस्तान्तरण किये जाने की छूट दी गई है। निकायों द्वारा 90ए अथवा 90बी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पट्टों (यथा स्टेट ग्रांट, अतिक्रमण नियमन आदि) का नामान्तरण क्या योजना अवधि के दौरान किया जा सकता है ? क्या अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है?</p>	<p>सभी प्रकार के पट्टों को पुनर्वेध (रिवेलिडेट) कर पंजीकृत करवाया जावे</p>
43	<p>1. इटावा नगर पालिका इटावा का गठन 4.12.14 को हुआ है इसके पहले इटावा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत पुश्टैनी मकानों के पट्टे वर्ष 2009–10 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये थे लेकिन इस दौरान अधिकांश पट्टाधारकों ने पट्टे का पंजीयन नहीं करवाया एवं इस अभियान के पूर्व भी ग्राम पंचायत इटावा द्वारा जो पट्टे जारी किये गये हैं। उनका भी पट्टा धारकों द्वारा पंजीयन नहीं करवाया गया, पट्टा धारकों ने विक्रय पत्र व इकरार नामे के आधार पर अन्य को अपना मकान प्लाट का बैचान कर दिया, इस संबंध में यह मार्ग दर्शन प्रदान करे कि बिना पंजीयन जो पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये थे उनका पट्टा स्थानान्तरण किया जा सकता है, या नहीं अगर स्थानान्तरण</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए के अन्तर्गत विरचित नियम, 2015 व परिपत्र क्रमांक प.8(ग) (12)नियम/डीएलबी/15/ 15012 दिनांक 12.05.17 के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p>

	<p>किया जा सकता है तो किस दर पर स्थानान्तरण जारी किया जावे।</p> <p>2. नगरपालिका इटावा में अभी तक मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है न ही 1999 से पूर्व किसी योजना के तहत बिना संपरिवर्तन के कॉलोनिया काटी गई खातेदारों ने बिना किसी योजना के अपने खाते की जमीन का अलग अलग लोगों को बैचान कर दिया तथा कई लोगों ने इकरार नामे के आधार पर उक्त मकान व प्लाटों का द्वितीय पक्षकार को बैचान कर दिया इस संबंध में कृपाया स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करे कि बिना किसी योजना के खातेदारों द्वारा बैचे गये प्लाट व मकानों का पट्टे कैसे बनाये जाये।</p>	<p>यदि उक्त प्रकरण 17.06.99 के पूर्व के हो तो राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए की उपधारा (8) के अन्तर्गत सू-मोटो कार्यवाही की जा सकती है। यदि ऐसे प्रकरण 17.06.99 के पश्चात के हो तो भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प.9 (126) राज-6 /2012/10 दिनांक 12.04.17 के अनुसार करने के पश्चात राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनके लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत निर्धारित प्रीमियम राशि व लीज राशि के अतिरिक्त शास्ति निम्नानुसार वसूल की जावे:-</p>
	<p>(i). यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण मूल खातेदार से दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् किन्तु दिनांक 02.05.2012 से पूर्व पंजीकृत विकायनामा के जरिये हुआ है तो शास्ति की राशि प्रीमियम राशि के 25 प्रतिशत राशि के समान होगी।</p> <p>(ii). यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् किन्तु दिनांक 02.05.2012 से पूर्व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हुआ है तो अंतिम केता से प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि शास्ति के रूप में वसूलनीय होगी।</p>	
44	<p>पालिका झालरापाटन में पालिका के द्वारा अलग अलग समय पर विभिन्न स्थानों पर खुली बोली से दुकाने निलाम की गई थी जिससे दुकानदारों के द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कराकर दुकाने दुकानदारों को सौप दी गई थी निलामी के समय शर्त थी कि दुकानों की छत पालिका की रहेगी। अतः छत आज भी पालिका के स्वामित्व की है अब उक्त दुकानदार जिनका नीचे स्वामित्व है वह दुकान के उपर की छत लेना चाहते हैं।</p>	<p>दुकान के उपर छत को अलग से निलाम किया जावे।</p>
45	<p>रामगंजमण्डी नगर पालिका के पेराफेरी क्षेत्र में पत्थर की औद्योगिक इकाईयां सैकड़ों की संख्या में लगी हुई हैं। जिसकों पेराफेरी क्षेत्र में होने से नियमन के अधिकार भी नगर पालिका को पास है। जिनका मास्टर प्लान में उपयोग भी औद्योगिक प्रयोजनार्थ ही अनुज्ञय है। ऐसी पत्रावलियों निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय में प्राप्त होने पर कार्यालय कार्यवाही पश्चात् क्षेत्रीय टाउन प्लानर विभाग को पास तकनीकी राय हेतु प्रेषित की जाती रही है। ऐसी सभी औद्योगिक इकाईयों में ज्यादातर रोड की चौड़ाई 40 फिट उपलब्ध है। सरकार द्वारा बनाई गये नियमों के अन्तर्गत रोड</p>	<p>ओद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्धारित सड़क की चौड़ाई हेतु निःशुल्क भूमि समर्पित करने पर पट्टे जारी करने हेतु मास्टर प्लान का कमीटमेन्ट मानते हुए तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापक जनहित पाये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन कर पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।</p>

	<p>की चौडाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर टाउन प्लानर विभाग द्वारा ऐसे औद्योगिक भूखण्डों का नियमन किया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं बताया गया है। जबकि आवेदक/ खातेदार द्वारा रोड की चौडाई 60फिट एवं 80फिट करने हेतु स्वयं की जमीन में से भूमि का निशुल्क समर्पणनामे भी प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे औद्योगिक भूखण्डों का नियमन नहीं हो सकने से पालिका को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि यह पालिका के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ऐसी कई औद्योगिक नियमन की पत्रावलिया जो पूर्व से पालिका में लगी हुई है तथा जिनका नियमन 40फिट चौड़ा रास्ता उपलब्ध होने पर भी नहीं हो सका है ऐसे भूखण्डधारकों द्वारा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना अन्तर्गत शिविरों के दौरान नियमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर औद्योगिक भूखण्डों का नियमन अभियान अन्तर्गत करने का निवेदन किया है। अतः ऐसे प्रकरणों पर अभियान अन्तर्गत शिथिलता प्रदान कर नियमन करने के आदेश/मार्गदर्शन प्रदान करावे ताकि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों के दौरान प्रकरणों का निष्पादन किया जाकर सरकार द्वारा चलाये जा रहे शिविर का लाभ आम जनता को दिया जा सके एवं नगर पालिका के वित्तीय ढांचे को भी मजबूती प्रदान की जा सके।</p>	
46	<p>1. दिनांक 15.08.09 से पूर्व के आवादी क्षेत्र के क्षेत्रों को नियमन करने बाबत पत्रांक प.1(ग)नियम(डीएलबी)/2005 दिनांक 01.01.02 में प्रावधानों का विवरण दिया गया है। इन प्रावधानों में नियमित किये जाने वाले भूखण्ड के आगे सड़क की चौडाई कितनी होनी आवश्यक है कृपया मार्गदर्शन देने का श्रम करे।</p> <p>2. दिनांक 15.08.09 से पूर्व क्षेत्रों का नियमन करने से पूर्व भवन निर्माण विनियम 2010 व 2013 के प्रावधान लागू होगे या नहीं ?</p>	<p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 183 के अन्तर्गत भवन रेखा निर्धारित की जाकर भवन विनियम, 2010 के विनियम 5.5 के अनुसार कार्यवाही निर्धारित/उपलब्ध सड़क की चौडाई के अनुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p> <p>विभागीय आदेश दिनांक 25.04.17 एवं आदेश दिनांक 25.05.17 के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।</p>
47	<p>मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के दौरान कई ऐसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जो करीब 50 वर्षों से नगर पालिका रामगंजमण्डी में किराये नामे पर चल रहे हैं। आवेदकों द्वारा स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत नियमन कर पट्टा दिये जाने</p>	<p>किराये पर दी गई आवासीय सम्पत्ति को राजकीय भूमि के नियमन संबंधी आदेश प.3(50)/नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.12 के अनुसार व्यापक जनहित में पाये जाने पर नियमित करने की कार्यवाही की जावें।</p>

	<p>हेतु आवेदन प्रस्तुत किये हैं। परन्तु इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने से उक्त आवेदकों को शिविर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः उक्त प्रकरणों में मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करे।</p>	
48	<p>स्टेट ग्रान्ट एकट के अन्तर्गत पट्टे हेतु आवेदनकर्ता का अन्य स्थान पर भूखण्ड होने पर क्या स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत पट्टा जारी किया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में मार्गदर्शन फरमावे।</p>	<p>अन्य स्थान से अतिक्रमण हटाने के पश्चात् स्टेट ग्रान्ट एकट के अन्तर्गत पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।</p>
49	<p>1. यह कि दिनांक 10.05.17 को नगर पालिका नैनवां द्वारा वार्ड नं. 01 व 06 को वार्ड में जाकर शिविर लगाया गया, जिसमें स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत पट्टे जारी करने से पूर्व प्राप्त पत्रावली का मौका देखा गया। मौके पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार 30 फीट चौड़ा रोड व रास्ता नहीं है। जबकि शहर में लगभग 8-12 फीट की चौड़ाई में रास्ते मौके पर हैं। तथा शहर की परकोटे से 15 मीटर के अन्दर अन्दर भी अधिकतर मकान का निर्माण हो चुका है। क्या परकोटे की सीमा के अन्दर स्टेट ग्रान्ट में पट्टे जारी कर सकते हैं अथवा नहीं।</p> <p>2. यह कि उक्त शिविर में कृषि भूमि नियमन के संबंध में प्रथम द्रष्टव्या तो कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियो का राजस्व विभाग तहसील कार्यालय से खसरों का सुपरइम्पोज नहीं हो रहा है राजस्व विभाग को पालिका द्वारा पत्र जारी किये जा चुके हैं। खसरा सुपरइम्पोज के अभाव में कृषि भूमि नियमन का कार्य नहीं हो रहा है।</p> <p>3. नगर पालिका नैनवां के मास्टर प्लान में खसरों सुरपइम्पोज नहीं किया गया है जिसके अभाव में नगर पालिका द्वारा मास्टर प्लान में संबंधित भूमि के उपयोग का पता लगाने जाना सम्भव नहीं हो रहा है। इसके अभाव में नगर नियोजक को पत्रावलियों को प्रेषित किया जाता है जिसके कारण विलम्ब होता है। क्योंकि समस्त प्रकार की पत्रावलीयों में मास्टर प्लान की रिपोर्ट प्राप्त करनी आवश्यक होती है। जो इसके कारण संभव नहीं हो पा रही है। उचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करे।</p> <p>4. नगर पालिका नैनवां में 01 ड्राप्टमेन, 03 कनिष्ठ लिपिक, 02 वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कार्य संचालन में काफी परेशानी आ रही है। अतः उक्त रिक्त पदों को भरवाने का श्रम करे।</p>	<p>बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही की जावे। परकोटे के संरक्षित स्मारक घोषित होने के 15-15 मीटर भूमि निर्माण निषेध क्षेत्र होने की स्थिति पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं। ले-आउट प्लान पर खसरों का सुपर इमोजिशन कन्सलटेन्ट के द्वारा करवाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार</p> <p>उपरोक्तानुसार</p> <p>अभियान अवधि हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों को पे-माईनस पेंशन पर रखे जा सकते हैं।</p>

	<p>5. राजस्व विभाग द्वारा नगर पालिका भूमि की तरमीम नहीं कि हुई है। जिसके प्रकरणों के निरस्तारण करने में काफी पेरशानी आ रही है।</p> <p>6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 13547-13580 दिनांक 26.12.16 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में सभी राजकीय भूमि व चारागाह का आवंटन किया जाना था परन्तु राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि के आवंटन के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही जिसमें उक्त अभियान के सफल क्रियान्वित नहीं हो रही है।</p> <p>7. स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत जारी पट्टों के सेटबेक का ध्यान रखा जावे या नहीं तथा रोड सीमा का ध्यान रखा जावे या नहीं, सरकारी भूमि पर बसे स्टेट ग्रान्ट के तहत पात्रता रखने वाले 90 वर्गमीटर से अधिक के मकानों पर भी क्या सेटबेक रखा जावे या नहीं, तथा क्या स्टेट ग्रांट के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले मकानों पर यूडीएच के आदेश क्रमांक नविवि/03/16 दिनांक 11.05.17 के बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में अतिक्रमण नियमन के तहत 300 वर्गमीटर तक के नियमन का जो आदेश राज्य सरकार द्वारा नियमन का आदेश वापस लिया गया है, क्या उसका प्रभाव स्टेट ग्रांट के पट्टों पर भी लागू होगा अथवा नहीं।</p> <p>8. भवन निर्माण हेतु 90 वर्गमीटर तक के भवनों को बिना सेटबेक के पालिका द्वारा नियमन राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियमन कर सकते हैं लेकिन क्या इस नियमन में रोड की चौड़ाई कितनी रखी जावे। क्या पालिका क्षेत्र में 8-12 फीट की चौड़ाई अनुपातिक रूप से मिल रही है। एवं पालिका में 90 वर्गमीटर से भी रोड की चौड़ाई 8-12फीट की उपलब्ध हो रही है। क्या ऐसी स्थिति में रोड की चौड़ाई बढ़ाते हुये अनुमति दे सकते हैं अथवा नहीं।</p>	<p>जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया जावें तथा व्यक्तिगत संपर्क कर तहसीलदार को निर्देश प्रदान करने का अनुरोध करें।</p> <p>जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया जावें तथा व्यक्तिगत संपर्क कर तहसीलदार को निर्देश प्रदान करने का अनुरोध करें। जिला कलेक्टर के माध्यम से चारागाह भूमि का आबादी प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन कर आवंटित करने हेतु प्रकरण राजस्व विभाग को प्रेषित किया जावे।</p> <p>राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 183 के अन्तर्गत भवन रेखा निर्धारित की जाकर पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जावें। 90 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड में शून्य सेटबेक पर अनुमति प्रदान किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। आदेश दिनांक 11.5.17 संशोधित कर आदेश दिनांक 25.05.17 जारी किया जा चुका है। अतः उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा।</p> <p>भवन रेखा निर्धारित की जाकर उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुसार कार्यवाही की जावें।</p>
50	<p>मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनान्तर्गत आयोजित शहरी शिविरों में नगर पालिका अन्ता द्वारा प्राप्त पत्रावलियों के पट्टा विलेख पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे हैं। जिसके कारण पट्टा जारी करने में समस्या उत्पन्न हो रही है।</p> <p>अतः श्रीमान उक्त पट्टों पर अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करे।</p>	<p>अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने पर आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी के एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी किये जावे। आदेश क्रमांक प.8(ग) (17)नियम/डीएलबी/16/1925 दिनांक 25.5.17 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियमख 1974 के नियम 26 के अन्तर्गत पट्टे पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने पर एकल हस्ताक्षरआयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी को अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रान्ट, धारा 69-ए व धारा 90-ए</p>

		भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पट्टों पर भी अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं करने पर उपायुक्त/आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी को हस्ताक्षर करने की कार्यवाही की जावें।
51	<p>17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं में वर्ष 2012 के प्रशासन द्वारा के संग अभियान के भाँति यथास्थिति पर नियमन का आदेश अगर सरकार द्वारा जारी हो सके तो आम जनता को इसका लाभ सहज रूप से प्राप्त हो सकेगा एवं निकाय स्तर पर अधिक से अधिक प्रकरणों का नियंत्रण भी हो सकेगा।</p> <p>अतः श्रीमान जी आपसे विनम्र आग्रह है कि उपरोक्त बिन्दओं पर विशेष ध्यान देकर 17.06.99 के पश्चात की कॉलोनियों के ले आउट प्लान अनुमोदन के अधिकार/ शक्तिया भी निकाय स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति को देने के संशोधित आदेश जारी करवायेंगे। तो 17.06.99 के बाद वाली कृषि भूमियों की कॉलोनियों में निवासरत स्थानीय लोगों को भी लाभ मिल सकेगा एवं पालिका को भी अधिक आय प्राप्त हो सकेगी।</p>	<p>आदेश दिनांक 25.04.17 के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p> <p>ले—आउट प्लान अनुमोदन की शक्तियां एम्पावर्ड समिति को ही है। सहा/उप/वरिष्ठ उप नियोजक से राय प्राप्त की जानी है। नगर नियोजक ले—आउट प्लान समिति में सदस्य भी है। इस कारण अलग से प्रकरण उन्हे भेजने की आवश्यकता नहीं है, समिति में ही निर्णय लिया जा सके।</p>
52	<p>नगर पालिका रावतभाटा के पत्र क्रमांक नपारा/2017-18/1065 दिनांक 20.05.2017 द्वारा निम्न मार्गदर्शन चाहा एवं उचित आदेश आवश्यक है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>यह कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सैन्ट्रल जोन भोपाल द्वारा संजय कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य अपील सं. 06 / 16 अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 07.11.16 एवं 14.02.17 के अनुसार जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण के निर्धारित सीमा क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया जावे और इसकों अभ्यारण सीमा क्षेत्र से बाहर निकलवाये जाने के लिए डीनोटिफिकेशन की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर से करवाई जावे इसके उपरान्त ही इससे प्रभावित क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार की गैर वानिकी कार्य की स्वीकृतियां आदि प्रदान नहीं की जा सकती है।</li> <li>राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत जारी किये गये आदेश दिनांक 25.04.17 के बिन्दु संख्या 3 व 12, 13, 16, 18, 19 अन्तर्गत प्रावधानों के तहत पालिका में निहित सिवाय चक/राजकीय/आबादी भूमियों पर दिनांक 15.08.09 से पूर्व के</li> </ol>	<p>पर्यावरण एवं वन विभाग को कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते हुए इस विभाग को भी सम्पूर्ण दस्तावेजो सहित प्रति प्रेषित की जावे।</p> <p>बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही की जावे। भवन विनियम, 2010 के विनियम 5.5 के अनुसार कार्यवाही की जावे।</p>

300 वर्गगज तक के अनाधिकृत आवासीय निर्मित कब्जे की भूमि का नियमन मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञा उपयोग तथा सड़क चौड़ाई के मापदण्ड अर्थात् 30 फीट चौड़ी सड़क होने की स्थिति में ही कब्जों का नियमन किये जाने के प्रावधान किये गये हैं, जबकि स्थानीय पालिका क्षेत्र में वर्षों पुराने अव्यवस्थित अतिक्रमण सिचाई विभाग के स्वामित्व के समय से ही है। जहाँ पर मुख्य सड़क के अतिरिक्त अन्य कही भी 30 फीट की चौड़ी सड़क उपलब्ध नहीं है। साथ ही राजकीय आदेशानुसार भवन विनियमों के मापदण्ड के अनुरूप किये गये निर्माणों का ही नियमन किया जाना है जबकि पालिका क्षेत्र में समस्त अतिक्रमण व अवैध निर्माण जीरो सेटबेक पर निर्मित है अर्थात् सेटबेक सीमा में निर्माण किया हुआ है। जो भवन विनियमों के तहत अनियमित निर्माण की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार द्वारा 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के सेटबेक सीमा में किये गये अनियमित निर्माण को जीरो सेटबेक के तहत नियमित किये जाने के आदेश पारित किये हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय पालिका में 90 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के निर्मित भूखण्ड अधिकांश कच्ची बरितियों में स्थित हैं जिनके नियमन की प्रक्रिया कच्ची बस्ती नियमन के प्रावधान के तहत की जा रही है। कच्ची बस्ती के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के अधिकमणों/अवैध निर्माणों के नियमन का जहाँ सवाल है उसके अन्तर्गत बहुत कम संख्या में ऐसे निर्मित भूखण्ड हैं जो 90 वर्गमीटर की श्रेणी अन्तर्गत हैं।

3. उपरोक्त नियमों में यह भी प्रावधान है कि अतिक्रमी/कब्जाधारी व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नगर पालिका क्षेत्र में कोई आवास अथवा आवासीय भूखण्ड नहीं है तो नियमानुसार नियमन दर वसूल करते हुए निर्धारित क्षेत्रानुसार नियमन किया जावे साथ ही आवासीय प्रयोजनार्थ ही नियमन किया जावे, व्यवसायिक या अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जावे, केवल न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का ही नियमन किया जावे, जबकि स्थानीय पालिका क्षेत्र में अधिकांश ऐसे अतिक्रमण व अवैध निर्मित भवन हैं, जिनमें आवास के साथ साथ अन्य उपयोग की गतिविधियां भी संचालित होकर आवासीय के साथ साथ अन्य प्रयोजनार्थ भवन का उपयोग

आवास के साथ वाणिज्यिक का भी नियमन किया जा सकता है लेकिन नियमन पट्टा आवासीय ही जारी किया जावेगा। 300 वर्गगज से अधिक भूमि का अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जावे।

	<p>किया जा रहा है। साथ ही ऐसे मामले भी हैं जिसमें अतिक्रमी व उसके परिवार के सदस्य के नाम पर अन्य और भी आवास एवं भूखण्ड हैं। ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें निर्मित क्षेत्र के साथ काफी अधिक क्षेत्रफल में खुला स्थान अतिक्रमी के कब्जे में है। इन सब परिस्थितियों पर कोई स्पष्ट आदेश/निर्देश व शिथिलताये राज्य सरकार द्वारा अभी तक जारी नहीं की है। इसलिए भी लोगों में अपने अतिक्रमणों के नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में कोई रुचि अथवा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है।</p> <p>4. स्थानीय पालिका क्षेत्र में उपरोक्त सभी प्रकार के अतिक्रमण व अवैध निर्माण सिंचाई विभाग की राणा प्रताप सागर बाध परियोजना के प्रयोजनार्थ अवाप्त/आवंटित शुद्धा भूमि पर वर्षों पूर्व किये गये अवैध कब्जों की भूमि नगर पालिका रावतभाटा को वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार के स्तर पर हुये निर्णय के तहत अधिशेष 287.64 हेक्टेयर भूमि की किमत राशि 2,87,18,000/- रु नगर पालिका रावतभाटा द्वारा सिंचाई विभाग को चुकाये जाने पर नगर पालिका को हस्तान्तरित हुई है। इस प्रकार क्रयशुद्धा इस भूमि के वर्षों पुराने निर्मित अतिक्रमणों की भूमि का पट्टा स्टेट गवरमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत यदि नियमन किये जाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। तो स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नगर पालिका द्वारा इन शिविरों में ऐसे सभी कब्जाधारियों को निर्धारित मापदण्डों के तहत पात्रता अनुसार पट्टे पालिका द्वारा दिये जा सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012–13 के दौरान इस बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था कि नजूल आवादी भूमि के अतिरिक्त अन्य ऐसी खरीदशुद्धा/निजी भूमियों के पट्टे स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।</p>	<p>आदेश प.3(50)/नविवि/ 03/2012 दिनांक 21.09.12 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(50) नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.01.16 के अनुसार नियमन किया जावे।</p>
53	मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजनान्तर्गत कच्ची बस्तीयों के नियमन हेतु आयोजित शिविरों में नियमन संबंधित कार्यवाही की जान है उक्त शिविरों में कच्ची बस्ती नियमन से	

	<p>संबंधित निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन अपेक्षित ह</p> <p>1. नगर निगम क्षेत्र में 40 कच्ची बस्तियों में से 28 विकसित कच्ची बस्तियों को राजीव आवास योजनान्तर्गत तैयार स्लम सिटी ॲफ एक्शन तथा बस्तियों की डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट के आधार पर निगम कि गन्धी बस्ती सुधार समिति की बैठक दिनांक 17.12.15 को आयोजित बैठक में 28 विकसित कच्ची बस्तियों को डिनोटिफिकेशन/सूची से हटाये जाने का सर्व सहमती से निर्णय लिया गया था।</p> <p>इस संदर्भ में निवेदन है कि डिनोटिफिकेशन की गई कच्ची बस्तियों में कुछ बस्तियां झील संरक्षण/निर्माण निषेध क्षेत्र में होने एवं नियमन नहीं किया जा सका था। मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण योजना अन्तर्गत डिनोटिफिकेशन की गई कच्ची बस्तियों में भी कच्ची बस्ती नियमन निति के अन्तर्गत नियमन की कार्यवाही की जा सकती है या नहीं ?</p> <p>2. कच्ची बस्तियों में निवासरत कब्जेधारी जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत है या सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये है। इनके पक्ष में भी नियमन किया जाना है अथवा नहीं एवं नियमन किये जाने की अवस्था में किस दर से राशि वसूल की जानी है।</p> <p>3. नगर निगम क्षेत्र की कुछ बस्तियों में जैसे निम्चमाता व अम्बावगढ़ का वर्ष 1999 में कच्ची बस्ती नियमन के तहत राशि जमा कि गई थी। परन्तु उक्त क्षेत्र पूर्व में निर्माण निषेध क्षेत्र घोषित हो जाने से नविवि के पत्र प.9(1)नविवि/3/95 दिनांक 09.02.01 की पालना में पट्टे जारी किये जाने का कार्य स्थगित रखा गया था अब उक्त भूमि/कच्ची बस्तिया नो कन्ट्रॉक्शन जॉन से बाहर होने से इन बस्तियों में नियमन संबंधित कार्यवाही की जानी है या नहीं ?</p>	<p>झील संरक्षण/निर्माण निषेध क्षेत्र में स्थित निवासियों को अन्यत्र पुनर्वासित किया जावे।</p> <p>डिनोटिफाई कच्ची बस्तीयों में कच्ची बस्ती नियमन संबंधी आदेशों के अन्तर्गत नियमन संभव नहीं है। इस कारण विभागीय आदेश प.3(50)/नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.12 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.01.16 के अनुसार के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>चतुर्थ श्रेणी व सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारी का नियमन किया जावे।</p> <p>इन बस्तीयों का कच्ची बस्ती नियमन संबंधी आदेशों के अन्तर्गत नियमन किया जावे।</p>
54	<p>नगर परिषद क्षेत्र में 17.6.99 से पूर्व की बनी आवासीय (रूपान्तरित) कॉलोनिया में नगर नियोजक के स्वीकृत नक्शे में 30 फीट चौड़ी रोड के स्थान पर 20फीट अथवा 15फीट मार्गाधिकार रखते हुए विकसित होकर वर्तमान में लगभग 2000 परिवार निवासरत है। इन विकसित कॉलोनिया में भूमि का नियमन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदया को सरकार आपके द्वारा अभियान में एवं दिनांक 18.03.17 को प्रधानमंत्री आवास</p> <p>नगर परिषद क्षेत्र में 17.6.99 से पूर्व की बनी आवासीय (रूपान्तरित) कॉलोनिया में विभागीय आदेश प.2 (30) नविवि/32016पार्ट/1516 दिनांक 25.4.17 के बिन्दु संख्या 1(ii) तथा क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.01.16 के बिन्दु संख्या 18 अनुसार नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।</p>	

	<p>योजना (ग्रामीण) की कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बांसवाड़ा पधारने पर एवं पत्रांक 12247 दिनांक 20.02.17 के द्वारा माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग को निवेदन किया गया है।</p> <p>मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना की कार्यशाला दिनांक 02.05.17 अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त कॉलोनियों के नियमन से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया जिस पर आप द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के प्रकरण को खांचा भूमि अन्तर्गत नियमन किया जा सकता है साथ ही माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग से भी इस विषय पर चर्चा के दौरान बताया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों में भूमि का नियमन किया जा सकता है।</p> <p>अतः श्रीमान से निवेदन है कि अकृषि (रूपान्तरित) भूमि पर विकसित कॉलोनियों को जन कल्याण योजना शिविर अन्तर्गत नियमन करने हेतु शीघ्र ही मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करावे।</p>
55	<p>नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3 16 पार्ट 516-30 दिनांक 25.04.17 के बिन्दु संख्या 7 के उपबिन्दु (i) में राजस्थान स्टेट गवर्नर्मेन्ट ग्रान्ट एकट 1961 के तहत नजूल लैण्ड/सभी प्रकार की भूमियां जैसा कि सिवायचक/करस्टोडियन भूमि आदि पर पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.230)नविवि/3/16 दिनांक 11.05.17 के आदेश द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अन्तर्गत शिविर के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर बिन्दु संख्या 2 द्वारा 300 वर्गमीटर तक राजकीय भूमि के नियमन बाबत जो दिशा निर्देश जारी किये गये उन्हें प्रत्याहारित कर दिया गया है।</p> <p>अतः उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में अभियान के सफल संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करें।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>क्या स्टेट ग्रान्ट एकट का पट्टा उपरोक्त आदेश दिनांक 11.05.17 के बिन्दु संख्या 2 के परिपेक्ष्य में राजकीय भूमि/सिवायचक भूमि पर दिया जा सकता है?</li> <li>क्या स्टेट ग्रान्ट एकट का पट्टा नजूल आबादी भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य आबादी भूमि पर जारी किया जा सकता है?</li> </ol> <p>संशोधित आदेश क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/8656 दिनांक 25.05.17 के अनुसार राजकीय/सिवायचक भूमि का ही नियमन किया जा सकता है। इन भूमियों पर स्टेट ग्रान्ट एकट का पट्टा नहीं दिया जा सकता है।</p> <p>नजूल आबादी भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य आबादी भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।</p>

	3. कच्ची बस्ती जो कि डी नोटिफाइड हो चुकी है उनमें स्टेट ग्रन्ट के अन्तर्गत पटटा जारी किया जा सकता है या नहीं ?	डी-नोटिफाइड कच्ची बस्ती में आदेश प. 3(50)/नविवि/ 03/2012 दिनांक 21.09.12 के अनुसार कार्यवाही की जावे।
56	यह कि नगरपालिका क्षेत्र शिवगंज (सिरोही) में पुरानी आबादी के तहत पटटा स्टेट टाईम (राजा-महाराजा के टाईम) का बगीची के नाम का जारी किया हुआ था। परन्तु उक्त पटटा काफी पुराना होने से स्थान पर भूमि मालिका/खरीददार द्वारा प्लॉट काटते हुये अन्य को बेचान कर दिये गये हैं। जिसमें प्लॉट काटते समय उक्त भूमि का संबंधित द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर से नियमों के तहत मानचित्र अनुमोदन नहीं करवाया गया था।	ऐसी भूमि को राजकीय भूमि मानते हुये आदेश प. 3(50)/नविवि/ 03/2012 दिनांक 21.09.12 व परिपत्र क्रमांक प.3 (50)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.01.16 के अनुसार के अनुसार कार्यवाही की जाकर नियमन किया जा सकता है।
57	नगर पालिका शिवगंज द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि मानचित्र अनुमोदन नहीं होने एवं अन्य को प्लॉटों का बेचान करते समय उक्त भूमि पर नियमों के तहत सड़कों का निर्धारण नहीं करते हुये 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट आदि सड़कों को ही रखा गया हैं जिसमें वर्तमान में उक्त कॉलोनी में अधिकतर मकान निर्मित किये जा चुके हैं परन्तु प्लॉट धारक अलग-अलग होने से वर्तमान में उक्त भूमि का मानचित्र अनुमोदन करवाया जाना भी सम्भव नहीं है।	डेडिकेटेड कन्सलटेन्ट से ले-आउट प्लान तैयार करवाया जावे। उक्त निर्माण दिनांक 17.6.99 के पूर्व के होने के कारण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 183 के अन्तर्गत भवन रेखा निर्धारित कर पट्टे जारी किया जा सकता है।
58	नगरपालिका पाली द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीनों, भूमिहीन कृषकों कर्मकारी ग्रामशिल्पियों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के अन्तर्गत तत्कालीन नगरपालिका पाली द्वारा वर्ष 1976 में रियायती दर 99.00 रुपये में महावीर नगर में लीज होल्ड पर भूखण्ड आवंटित किये गये थे।  आवंटियों को भूखण्ड आवंटन के जारी विक्रय पत्रों की शर्त संख्या 3 अनुसार आवंटित आवासीय भूमि के हस्तानान्तरण का कोई अधिकार आवंटी को नहीं होगा। यह उसके स्वयं के स्वामित्व में रहेगी। (विक्रय पत्र की छाया प्रति संलग्न है।) परन्तु आवंटियों द्वारा अपने आवंटित भूखण्डों को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामें के द्वारा अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया है तथा अब वर्तमान खरीददारों द्वारा उक्त आवंटित भूखण्डों का हस्तानान्तरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु आवेदन किया जा रहा है।	जिन व्यक्तियों द्वारा आवंटन की शर्तों के उल्लंघन में भूखण्ड क्रय किया गया है उनसे राजकीय भूमि के नियमन हेतु जारी विभागीय आदेश प. 3(50)/नविवि/ 03/2012 दिनांक 21.09.12 व परिपत्र क्रमांक प.3 (50)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.01.16 के अनुसार निर्धारित राशि वसूल कर नियमन करने की कार्यवाही की जावें।

59	नगर परिषद बाडमेर के पत्र क्रमांक एफ1/विविध/मुसजकय/2017/7855 दिनांक 05.05.2017 द्वारा वांछित मार्गदर्शन के संदर्भ में।	डी-नोटिफाईड कच्ची बस्ती के भूखण्डों का नियमन राजकीय भूमि नियमन हेतु जारी आदेश प. 3(50)/नविवि/ 03/2012 दिनांक 21.09.12 व परिपत्र क्रमांक प.3 (50) नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.01.16 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियमन किया जा सकता है। विभागीय आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/ 3/2016 /पार्ट/ दिनांक 14.6.17 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप 90—ए संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है।
60	सभापती नगर परिषद जैसलमेर के पत्र क्रमांक 18 दिनांक 01.05.2017 द्वारा वांछित मार्गदर्शन के संदर्भ में।	इस संबंध में आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर को निर्देश प्रदान करना उपयुक्त होगा कि सुसंगत अभिलेख के साथ ख्यां आकर प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही करवाये।

अतः विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा वांछित मार्गदर्शन के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रदत्त मार्गदर्शन में उल्लेखित आदेश/परिपत्र व अन्य सुसंगत आदेश/नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/31607-32032 जयपुर, दिनांक: 04/08/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
- समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
- महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
- समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
- आयुक्त/अधिकारी अधिकारी, नगरनिगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
- संयुक्त सचिव, सिर्टम एनालेसिस्ट
- सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी